21 वीं सदीं में महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज वयवस्था : एक समीक्षात्मक अध्ययन

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकायान्तर्गत राजनीति विज्ञान विषय में विद्यावाचस्पति (पी.एच.डी.) उपाधि हेतु प्रस्तुत

-: शोध प्रारूप :-

शोध निर्देशक
डॉ. लाल कृष्ण शर्मा

शोधार्थी
ज्योति शर्मा

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविधालय
जयपुर, (राज), भारत

2022

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	शीर्षक	
2.	शोध प्रस्तावना	
3.	प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्य	
4.	शोध परिकल्पना	
5.	शोध प्रश्न	
6.	शोध-प्रविधि	
7.	शोध कार्य की प्रस्तावित अध्याय योजना	
8.	अध्याय विन्यास (संदर्भ सूची)	
9.	संदर्भ ग्रंथ सूची	
10.	जनरल एवं पत्रिका :	

- ## शीर्षक –

21 वीं सदीं में महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था : एक समीक्षात्मक अध्ययन

- ## शोध प्रस्तावना :–

संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन विधायक 1992 ने पंचायती राज व्यवस्था को ना केवल नयी दिशा दी बल्कि यह लोकतंत्र की जड़ो को सीचने में भी सार्थक सिद्ध हुई है। 73वें संशोधन विधेयक की 22 दिसम्बर 1992 को लोकसभा तथा 30 दिसम्बर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। तत्पश्चात 17 राज्यों द्वारा इस विधेयक को प्रदान करने के पश्चात 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह विधेयक 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में प्रवृत हो गया 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अध्याय जोडा गया। 11वीं अनुसूची जोडी गई। जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

1. ग्राम पंचायत :–

पंचायती राज की संरचना में ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई है। यदि किसी गाँव की जनसंख्या बहुत कम होती है तो प्रत्येक गाँव या गांवों के समूह के लिए एक पंचातय होती है। किसी भी पंचायत में गाँव के लोगों द्वारा चुने गऐ प्रतिनिधि होते है। पंचायत एक निकाय के रूप में गाँव में होनी वाली सभा के रूप में जानी जाती है। जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होती है। ग्राम पंचायत को अपना बजट पिछले वर्ष के लेखे और वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है।

2. पंचायत समिति (क्षेत्र पंचायत) :–

पंचायत समिति पंचायतीराज की दूसरी इकाई है। यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में बीच की कडी होती है। आमतौर पर एक पंचायती समिति में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर 20 से 60 गांव होते है। एक समिति के अधीन औसत जनसंख्या लगभग 80,000 है, लेकिन यह सीमा 35,000 से 1,00,000 तक है। पंचायत समिति के सदस्यों को ठवै सदस्य कहते है।

(3) जिला परिषद या जिला पंचायत :–

जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष इकाई है। आम तौर पर जिला परिषद में जिला पंचायत के प्रतिनिधि होते है। राज्य विधानसभा और संसद प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्य, इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा, शिक्षा और अन्य विकास विभागों के सभी जिला स्तरीय अधिकारी होती है। महिलाओं, अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के सदस्यों के विशेष प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान है। कलेक्टर जिला परिषद का सचिव होता है। जिला परिषद का कार्यकाल भी ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत की तरह 05 साल का होता है।

प्रस्तावित शोध में ऐतिहासिक शोध का प्रयोग किया जायेगा जो कि ऐतिहासिक व विकासात्मक अध्ययन से संबंधित है जिसमें विभिन्न कारकों के मध्य

संबंधों की व्यवस्था एवं उनके गत्यात्मक क्रिया का प्रसंग का विवेचन किया जायेगा।

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज :–

सन् 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्थानीय स्वशासन का नवयुग प्रारम्भ हुआ। पंचायती राज की दिशा में उल्लेखनीय कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में पंचायती राज की स्थापना का प्रयास वास्तविक रूप में संघीव एवं आकार हुआ। 50 के दशक में भारतीय संविधान को अमलीजामा पहनाने के समय पंचायतों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जगह मिली। यानी पंचायतों के कर्त्तव्य एवं अधिकार के प्रति किसी भी सरकार को न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती थी। पंचायतों के बारे में इन्हें सुरक्षा से निर्णय करना था।

भारतीय संविधान में पंचायती राज के महत्व को स्वीकार करते हुए एच डी मालवीय ने कहा है कि भारतीय संविधान में पंचायत की विचार को संकलन करना अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी जिसका राजस्थान राज्य की बनावट पर पडा।

- ## शोध उद्देश्य :–

पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण की वास्तविक स्थिति का अध्ययन :–

आर्थिक कारक :–

शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल प्रणालीगत विफलताओं के कारण भारत के कथित बडे जन सांख्यिकीय लाभांश का दक्षतापूर्ण

उपयोग नही हो पा रहा है और प्रत्येक वर्ष कार्यकाल में शामिल होने योग्य लाखों युवा बेरोजगार ही रह जाते है।

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं जैसे आकर्षक नारे के बावजूद जनसांख्यिकीय लाभांश के सबसे घटक महिलाओं को अभी तक अधिकांश उपेक्षित ही रखा गया हैं यू.एन. इंडिया बिजनेस कॉरम की फैक्टशीट के निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए जो लैगिंक परिदृश्य पर प्रकाश डालते है :

सकल घरेलू उत्पादक में महिलाओं के योगदान के मामले में वैश्विक औसत 37 प्रतिशत की तुलना में भारत में महिलओं का योगदान मात्र 17 प्रतिशत है।

सामाजिक कारक :

महिलाओं का समाज में एक विशेष स्थान होता है समाज में औरत के समय–समय पर कई रूप सामने आते है कभी वे बेटी के रूप में कभी पत्नी के और कभी माता के रूप में आदर पाती है और परिवा में अपनी भूमिका निभाती हैं इन सब के अलावा औरत को समाज में एक पूजनीय स्थान भी दिया गया है उसकी पूजा अर्चना देवालयों, शुभ त्यौंहारों एवं दैत्यों के विनाश के लिये की जाती है वैदिक एवं उत्तर वैदिक साहित्यों से लेकर आज तक के साहित्य में औरत को एक विशिष्ट स्थान दिया गया है यत्र नार्यस्तु पिज्यन्तें रमन्ते तत्र देवता कहकर नारी को जहा एक और आसमान की ऊँचाई पर बैठा दिया गया, वहीं भक्तिकाल में नारी को ताड़न के अधिकारी कहकर उसे पाताल में धकेल दिया गया।

सही शिक्षा मनुष्य की पहुंच, उद्देश्य, पहल में आमुल परिवर्तन ला देती है हमारे देश में अभी मात्र 58 प्रतिशत लोग शिक्षित है मात्र 36 प्रतिशत महिलायें ही शिक्षितों में गिनी

जाती है घर का वातावरण महिलाओं पर ही निर्भर करता है परन्तु उनकी शिक्षा पर ईमानदारी से कभी भी ध्यान नहीं दिया दलित समाज की महिलओं में शिक्षा 19 प्रतिशत से भी कम है। आदिवासी क्षेत्र में मिशनरियों का शिक्षा प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने आवासीय विद्यालयों, अनौपचारिक शिक्षा वयस्क शिक्षा, आंगनबाड़ी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं, दलित समाज के लोगों की शिक्षा का प्रयास किया जिसका लाभ दलित वर्ग व सभी महिलायें नहीं उठा सकी।

इसका लाभ उच्च वर्ग के लोगों को जिनकी मानसिकता है कि कमजोर वर्ग के लोग ऊपर नहीं उठ सके ऐसा नहीं है। कि सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है परन्तु उनकी राजनैतिक मजबूरिया समाज उत्थान के नारों के आगे खड़ी हो जाती है। कुर्सी के लिये वोट बटोरने की शक्तियों के सामने घुटने टेकने पड़ते है और योजनायें सफल नहीं हो पाती।

राजनीतिक कारक :

राजनीति में महिलाओं की भूमिका : प्रारम्भ से ही स्त्रिया पुरूषों की जीवनसाथी मानी जाती है। इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि राजनीति में स्त्रियों की भी प्रमुख भूमिका रही है स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति इस बात से मानी जाती है कि सता के स्वरूप निर्धारण और उसके भाग लेने के मामले में उन्हें कितनी समानता और आजादी प्राप्त है भारतीय संविधान में स्त्रियों की राजनैतिक सता को मान्यता दिया जाना न केवल परमपरागत भारतीय समाज से विरासत में प्राप्त प्रतिमानों की तुलना में एक नई पहल थी, बल्कि उस

समय के सर्वाधिक उन्नत देशों के राजनैतिक आदर्शो से भी बढ़कर था। (समाजवादी देशों को छोड़कर संसार में किसी अन्य राज्य में स्त्रियों की क्षमता को स्वभाविक रूप से स्वीकार नहीं किया गया) स्त्रियों को राजनैतिक क्षमता दिलाने में राष्ट्रीय आन्दोलन तथा महात्मा गांधी का नेतृत्त्व ऐसी दो प्रभावी शक्तिया थी जिन्होंने उत्प्रेरक का कार्य किया।

महात्मा गांधी ने स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिये अधिक प्रयत्न किये।

इन्होंने इसके विकास का नैतृत्व किया, किन्तु 19वीं और 20वीं शताब्दी के संदी स्थल पर स्त्रियों का एक छोटा वर्ग अपने घरों से बाहर समाज कल्याण की गतिविधियों में विशेषत स्त्री शिक्षा समाज में दुर्लभ वर्गो के कल्याण और संकटग्रस्त लोगों की सहायता से कार्य करने में स्वेच्छा से भाग लेने लगा। धीरे–धीरे इस दिशा में भी परिवर्तन होने लगा और लोग बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। इससे भी छोटे एक समूह ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, 20वीं शताब्दी के प्रारभिक वर्षो में महिला संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने राजनैतिक अधिकारों की मांग शुरू की, 1917 में श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं को एक प्रतिनिधि मण्डल ने एक ब्रिटिश संसद में पुरूषों के साथ समता के आधार पर स्त्रियों को मताधिकार देने के लिये मांग पेश की।

1921 के सुधार अधिनियम ने केवल उन ग्रहणियों को अधिकार दिया जो सम्पन्न तथा शिक्षित थी। विदेशी शासको को यह विश्वास होता था कि स्त्रियों तथा पुरूषों को भारतीय समाज में बराबर का साझेदार माना जायेगा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद के वर्षो में भी इन अधिकारों की स्थिति व

अवसरों की सामान्य क्षमता तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्राप्त करने का साधन माना गया।

स्त्रियों की राजनैतिक स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित बिन्दूओं के तहत किया गया था :–

1. चुनावों में मतदाताओं और उम्मीदवारों की हैसियत से राजनैतिक प्रक्रिया में भागीदारी।

2. राजनीति में सजगता, वचनबद्धता और सक्रिय सहभागिता जैसे राजनैतिक दृष्टिकोण को अपनापन तथा राजनैतिक कार्यवाही और व्यवहार में स्वायत्तता का निर्वाचन।

3. राजनैतिक प्रक्रिया पर उनके प्रकार को जानना।

- शोध परिकल्पना :

परिकल्ना किसी भी शोध का महत्वपूर्ण शोध है इसके बिना शोध कार्य को दिशा नहीं दी सकती।

परिकल्ना शोध का एक आवश्यक घटक है। जिसके बिना शोध का आधार सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

प्रस्तावित शोध का विषय ''21वीं सदीं'' में महिला सशक्तीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था : एक समीक्षात्मक अध्ययन है :–

1. नगरीय स्वायत संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठ भूमि की तुलना करना।

2. लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से आय महिला सशक्तीकरण में प्रभाव की जांच करना।

3. महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी में बाधाओं की जांच करना।

4. महिलाओं को जो अधिकार मिला है उसका उपयोग कितना हुआ।

- शोध प्रश्न :–

1. क्या निर्वाचित सदस्य की सामाजिक आर्थिक पृष्ठ भूमि महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण निर्धारित करते है?

2. स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को भागीदारी का स्तर और प्रकृति क्या है?

3. स्थानीय निकायों और परिवार दोनों में निर्णय लेने सम्बनधी प्रक्रियाओं में निर्वाचित महिला सदस्यों की भूमिका क्या है?

4. स्थानीय निकायों में भागीदारी का उनके सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ता हैं?

5. क्या शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में महिला सदस्यों को भागीदारी के लिए अनुकुल वातावरण प्रदान करते है।

6. क्या पितृ सतात्त्मक सामाजिक व्यवस्था ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण में बाधा डालती हैं?

- शोध प्रविधि :–

प्रस्तावित शोध में ऐतिहासिक शोध का प्रयोग किया जायेगा जो कि ऐतिहासिक व विकासात्मक अध्ययन से संबंधित है

जिसमें विभिन्न कारकों के मध्य संबंधों की व्यवस्था एवं उनके गत्यात्मक क्रिया का प्रसंग कर विवेचन किया जायेगा।

शोध कार्य में महिला सशक्तीकरण वं पंचायती राज के समसायिक व्यवस्था हेतु द्वितीय सामग्री प्रयोग में लायी जायेगी, जो निम्नलिखित है :–

1. पुस्तकें
2. लेख
3. पत्र–पत्रिकाओं
4. पांडुलिपिया
5. पूर्व में हुए शोध अध्ययन आदि

- **शोध कार्य की प्रस्तावित अध्याय आयोजन परिचय :–**

1. परिचय
2. प्रथम अध्याय– 21 वीं सदी में महिला सशक्तिकरण
3. द्वित्तीय अध्याय –
4. तृतीय अध्याय – महिला सशक्तिकरण एवं ग्राम पंचायत की शासन व्यवस्था।
5. चतुर्थ अध्याय – महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त है उसका उपयोग कितना हो रहा है।
6. पंचम अध्याय – वर्तमान मे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन
7. निष्कर्ष

• अध्याय विन्यास (संदर्भ सूची) :–

1. रिपोर्ट ऑफ द कांग्रेस विलेज पंचायत कमेटी, 1954 :
2. सिंह संतोष एवं प्रकाश, तीर्थ, पंचायती राज कुरू होथ, वर्ष 53, अंक 10, अगस्त 2007
3. जैन एस. सी कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायत राज इन इंडिया, एलाइड पब्लिशर्स, बाम्बे, 1967, पृष्ठ 98–99
4. विलेज पंचायत इन इंडिया, 1956, पृष्ठ 26
5. बलवन्त राज मेहता कमेटी रिपोर्ट, पृष्ठ 51
6. डे एस. के पंचायती राज, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1962, पृष्ठ 74
7. के. एस. वी. रमन, विल पंचायत कम कुरू क्षेत्र वॉल्यूम–2, नं. 2, अक्टूबर, पृष्ठ 46–48
8. दी केबिनेट सेफ्रेटेरिस्ट देयर रेजोल्यूशन नम्बर 14/1/2/77 दिसम्बर 1977, अपाइंटेड दी कमेटी ऑफ पंचायती राज इन्स्टीटयूशन

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, प्रमोद कुमार, भारत में पंचायती राज, ज्ञान गंगा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003
2. आशुरानी, महिला विकास कार्यक्रम, नाश्री पब्लिशर्स जयपुर, 1997

3. अनिता, पंचायतीराज, प्रशिक्षण संदर्भ सामग्री, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, 2005

4. आप्टे प्रथा, भारतीय समाज में नारी, क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1993

5. गोयल डॉ. सुनील गोयल श्रीमती संगीता, भारतीय समाज में नारी, आर. बी. एस. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003

6. चौधरी, सविता, पंचायतीराज एवं राजनीतिक विकास राजस्थान एक अध्ययन, 2005 अप्रकाशित शोध–प्रबंध

7. चौधरी, अल्पना भारतीय महिलायें और उनकी शक्तिया, अदिती पब्लिसर्स, 2001

8. जैन, डॉ. राजकिरण, महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता एक अध्ययन, नवजीवन पब्लिकेशन, जयपुर, 2012

9. जोशी. आर.पी. एवं मंगलानी रूपा, भारत में पंचायती राज, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 2003

10. तिवाड़ी, आर.पी. व शुक्ल, पी.डी. भारतीय नारी वर्तमान समस्यायें समाधान, ए.बी.एच पब्लिशर्स, 1999

11. पंचायती राज में महिला भागीदारी, दिल्ली, कल्पाज, 2004

12. पंचायती राज संस्थाओं को सशक्तीकरण, संकलन, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्था, जयपुर, जून, जुलाई 2003

13. बहना देवी हेली, महिला पंच, सरपंच 2000 उदयपुर, रिपोर्ट, ओम श्रीवास्तव उदयपुर, 2000

14. शवतावत डॉ. गायत्री, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता व पंचायती राज व्यवस्था एक अवधारणात्मक विवेचना, नवजीवन पब्लिकेशन, जयपुर, 2011.

15. शर्मा, घनश्याम दत्त, महाकालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाएं राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1995

- जनरल एवं पत्रिका :–

1. आनंद, निर्मल कुमार, पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाए, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, मई 2007
2. कटारिया, सुरेन्द्र, महात्मा गांधी का पंचायतीराज, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, अगस्त, 2006
3. कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, दिसम्बर 1994
4. कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, अगस्त 1994
5. रस्तोगी, अल्का, महिला सशक्तिकरण प्रयास और लक्ष्य, कुरूक्षेत्र, मार्च 2005, नई दिल्ली
6. रंजन, संजीव, रोल ऑफ इन फोरमेशन सिस्टम इन अरबन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ज्ञान ज्योती ई–जनरल, वॉल्यूम 1, इश्पू 2, आईएसएसएन 2250–348 एक्स, 2012